बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–.....

संचिका संख्या–03/मु.2–01/2023...../ राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के पीत पत्र ज्ञापांक–6025 दिनांक–01.08.2016 द्वारा मो. इरशाद अंसारी के विरूद्ध सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु अनुमोदित सूची को स्वेच्छानुसार बदल कर नये विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु राशि निर्गत करने, बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता तथा गबन/कमीशनखोरी एवं राशि का बंदरबाट करने इत्यादि से संबंधित आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

2. आरोपों की गंभीरता के दृष्टिगत मो. अंसारी को विभागीय आदेश संख्या–778 दिनांक–01.08.2016 द्वारा निलंबित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक–882 दिनांक–28.09.2016 द्वारा आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति उपलब्ध कराते हुए मो. अंसारी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

4. मो. अंसारी के दिनांक–30.11.2016 को समर्पित बचाव अभिकथन पर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक–8093 दिनांक–10.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गए मंतव्य में मो. अंसारी के बचाव अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

5. समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं.–781 दिनांक–28.11.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

6. संचालन पदाधिकारी–सह–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक–98/नि.प्रा. दिनांक–04.05.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मो. इरशाद अंसारी के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। तद्नुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) के तहत विभागीय पत्रांक–368 दिनांक–21.05.2018 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मांग इनसे की गयी। इनके द्वारा दिनांक–11.06.2018 को समर्पित लिखित अभ्यावेदन को सम्यक समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित शास्ति पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–202 दिनांक–20.05.2020 द्वारा दंड पर सहमति संसूचित की गयी, तदोपरांत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–395 दिनांक 17.09.2020 द्वारा श्री अंसारी को "सेवा से बर्खास्त" किया गया।

7. अधिरोपित दंड के विरूद्ध मो. इरशाद अंसारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मेंसमादेश याचिका सं0–16178/2021 दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका सं0–16178/2021 में दिनांक 15.04.2025 को पारित आदेश एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय पत्रांक–281647 दिनांक 14.08.2025 द्वारा पूर्व के दंडादेश (अधिसूचना ज्ञापांक–395 दिनांक 17.09.2020) को निरस्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(5) के

आलोक में मो. इरशाद अंसारी को सेवा में पुनर्स्थापित किया गया तथा इन्हें बर्खास्तगी की तिथि से लगातार निलंबित किया गया। साथ ही मो. इरशाद अंसारी पर आरोपों के वृहद जांच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अनुसरण में विभागीय ज्ञापांक–281654 दिनांक–14.08.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। आरोप पत्र में अंकित आरोप निम्नवत् हैं:–

i. वित्तीय अनियमितता करना।
ii. वरीय पदाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करना।
iii. कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतना।
iv. स्वेच्छाचारिता करना।
v. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल आचरण रखना।

8. जांच–सह–संचालन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार चौधरी, विशेष सचिव द्वारा मो. इरशाद अंसारी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि आरोपों पर आरोपी पदाधिकारी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित करने के उपरान्त उनसे पृच्छा की गई कि अगर वे किसी गवाह का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण कराना चाहते हैं तो उसकी सूची समर्पित करें, परन्तु उनके द्वारा मौखिक/लिखित रुप से ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की गई। संचालन पदाधिकारी का यह प्रतिवेदन एवं मंतव्य प्राप्त हुआ है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष–2011–12 एवं 2014–15 में स्वीकृत अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, भोजपुर से अनुमोदित विद्यालयों की सूची में परिवर्तन किया गया है। उनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, आरा से राशि को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में हस्तांतरित कराया गया। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, अनाईठ, आरा से विद्यालयों के विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में राशि हस्तांतरित होने के बाद निजी संस्था Matriye Consultancy Services Pvt Ltd. के खाता में प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा राशि हस्तांतरित की गयी है। आरोपी पदाधिकारी इसे रोकने में असफल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी का वित्तीय अनियमितता में स्पष्ट सहभागिता रही है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के कथन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण मामले में विद्यालय को अंतरित की गई राशि 8,89,71,620/– रुपये में से 6,71,18,927/– रुपये की वसूली हो चुकी है। Matriye Consultancy Services Pvt.Ltd.में जमा 77,11,590/– रुपये को फ्रिज कर दिया गया है। इस प्रकार कुल 1,41,41,103/– रुपये की वसूली शेष है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी दोषी है तथा वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रमाणित होता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

9. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के दृष्टिगत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के आलोक में विभागीय पत्रांक–319202 दिनांक–11.11.2025 द्वारा मो. इरशाद अंसारी से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

10. मो. इरशाद अंसारी द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित किया गया जिसमें इनका कहना है कि प्रस्तुत अनुशासनिक कार्यवाही में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित चरणबद्ध प्रक्रिया एवं समय–सीमा का पालन नहीं किया गया है और आनन–फानन में बिना

मामले की प्रारम्भिक जाँच किये/कराये, बिना स्पष्टीकरण पूछे, अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी है, आदि।

11. मो. इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित के मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई है। इनपर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों के लिए पूर्व में मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में सेवा से बर्खास्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में नए सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित कर आरोपों की जांच कराई गयी जिसमें जांच संचालन पदाधिकारी के द्वारा सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में कतिपय बिंदुओं की चर्चा की गई है जिनपर स्थिति निम्नवत् पाई गई–

i. आरोपी पदाधिकारी का यह कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के लिए कुल 4 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है, परंतु प्रस्तुत मामले में निर्धारित समय–सीमा के तहत कार्यवाही नहीं करते हुए आनन–फानन में बिना मामले की प्रारंभिक जांच किए/कराए, बिना स्पष्टीकरण पूछे नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए निदेश का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में स्थिति यह है कि मो. इरशाद अंसारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु 4 माह की जो समय–सीमा निर्धारित होने की बात कही गई है, उसमें कहीं यह अंकित नहीं है कि उससे कम समय में अनुशासनिक कार्यवाही को पूरा नहीं की जा सकती है। यह भी कि प्रस्तुत मामले में आरोपों पर पूर्व में जांच कराकर दंडादेश पारित किया गया था जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ प्रेक्षणों (observations) के साथ निरस्त किया गया था और तदालोक में आलोच्य अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई। अतः इनपर प्रतिवेदित आरोपों का पुनः प्रारंभिक जांच कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी का यह कथन स्वीकारणीय नहीं है।
ii. आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प में बिना किसी जांच के ही प्रमाणित आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने का उल्लेख किया गया है, जो अनुचित है। विदित है कि मो. इरशाद अंसारी पर प्रतिवेदित आरोपों को प्रथम दृष्टया सही और गंभीर प्रतीत होने के कारण ही उसकी वृहत् जांच कराई जा रही है। ऐसे में आरोपों के प्रथम दृष्टया प्रमाणित/सही पाए जाने के उल्लेख का कोई अन्यथा औचित्य नहीं हो सकता है। इस रूप में इनके अभ्यावेदन के इस बिंदु को निरस्त किया गया।
iii. आरोपी पदाधिकारी का यह कहना है कि प्रस्तुत संचालित कार्यवाही के संचालन में सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक–15548, दिनांक–16.12.2017 के प्रावधानों की उपेक्षा/अवहेलना की गई है। उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तुत संचालन में उक्त पत्र के किस बिंदु/निदेश का अवहेलना/उपेक्षा हुआ है। अतएव यह बिंदु भी स्वीकारणीय नहीं है।
iv. आरोपी पदाधिकारी के द्वारा आरोप पत्र में कोई विशिष्ट साक्ष्य आदि नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जबकि यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र के अनुबद्ध के रूप में

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के पत्रांक–6903, दिनांक–16.09.2016 की प्रति अनुलग्नक सहित (218 पृष्ठ) संलग्न और परिचारित की गई है। यहां तक कि जांच/ संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी को अपने पक्ष में साक्षी लाने और पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया गया है, इसलिए इन बिंदुओं का अनावश्यक रूप से उल्लेख करते हुए आरोपों से ध्यान विचलित करने का प्रयास आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में किया गया है, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है।

v. आरोपी पदाधिकारी के द्वारा आरोपों के संबंध में दस्तावेजों की मूल सूची नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जो इस रूप में स्वीकारणीय नहीं है कि उनके द्वारा आरोपों के साक्ष्यों की छायाप्रति की वैधानिकता पर कोई प्रश्न संचालन के दौरान नहीं उठाकर बाद में यह निर्मूल बात कही जा रही है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा जिन अभिलेख या दस्तावेजों की मांग की गई है, वह उन्हें उपलब्ध कराया गया है।

vi. आरोपी पदाधिकारी के द्वारा वित्तीय अनियमितता, कमीशनखोरी एवं राशि के विचलन के बारे में जो बातें कही गई है, उनपर जांच के दौरान ही समीक्षा की जा चुकी है और ये प्रमाणित पाए गए हैं।

vii. आरोपी पदाधिकारी के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि 10 करोड़ रूपये से अधिक की हस्तांतरित राशि में से लगभग 5 करोड़ रूपये की राशि उनके द्वारा ही वसूली गई थी तथा बाद में लगभग 8 करोड़ 50 लाख से ऊपर की राशि वसूली हो चुकी है। यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि गंभीर वित्तीय अनियमितता को कारित करते हुए नियम विरूद्ध राशि का अंतरण किया गया था, जिसकी वसूली की आवश्यकता पड़ी तथा अभी भी इनके ही अनुसार रू. 1,41,41,103 वसूली के लिए शेष है। अनुमोदित सूची को बदलकर दूसरे विद्यालयों को राशि का अंतरण किया जाना, वित्तीय अनियमितता कारित करने के आपराधिक षडयंत्र से पंजाब नेशनल बैंक, आरा से राशि को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में हस्तांतरित किया जाना जिसके पश्चात निजी संस्था Matriye Consultancy Services Pvt Ltd के खाते में प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा राशि हस्तांरित की गई, अपने आप में आरोपी पदाधिकारी की कमीशनखोरी में सहभागिता एवं कार्य में विफलता को दर्शाता है। अपने पदीय दायित्वों का दुरुपयोग करते हुए अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्राप्त कराई गई राशि को निजी बिचौलियों के खाते में अंतरित कराना कमीशनखोरी हेतु इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता बरतने तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाह एवं स्वेच्छाचारी आचरण को सिद्ध करता है।

12. उपर्युक्त के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

13. मो. इरशाद अंसारी के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने, वरीय पदाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं कमीशनखोरी के प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (xi) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्तया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" की शास्ति विनिश्चित की गयी।

14. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 5/प्रो. 15–02/2026 (64)/लो.से.आ. दिनांक 09.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–सह–पठित ज्ञापांक–9794 दिनांक 22.07. 2019 की कंडिका–7 में प्रावधान है कि वैसे अनुशासन संबंधी पेंशन से कटौती अथवा वृहत दंड के मामले में, जिसमें आयोग द्वारा परामर्श/सहमति दी गयी हो और बाद में पेंशन से कटौती अथवा वृहत दंड के आदेश को निरस्त करने, कम करने अथवा रुपभेदित किये जाने की स्थिति में पुनः आयोग से परामर्श प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। विदित हो कि इस मामले में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–202 दिनांक 20.05.2020 द्वारा पूर्व की अनुशासनिक कार्यवाही में इसी आशय के प्रस्तावित दंड पर सहमति व्यक्त की गयी है।

15. बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम 10 के तहत नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची–3 के उपबंधों के अनुसरण में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो, को बर्खास्त करने, सेवाच्यूत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर उस पर विचारोपरांत मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होता है।

16. इस आलोक में मो. इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता, गबन एवं कमीशनखोरी के प्रमाणित आरोपों के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्तया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" की विनिश्चित शास्ति पर दिनांक–13.05.2026 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त की गई है।

17. अतएव मो. इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता, गबन एवं कमीशनखोरी के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (xi) के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्तया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"।

18. मो. इरशाद अंसारी के निलंबन अवधि के वेतन/भत्तों के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11(5) के तहत अलग से निर्णय संसूचित किया जाएगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/मु.2–01/2023....1/416888....../ पटना, दिनांकः–....14-05-2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा.शि.)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं मो. इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित (निर्धारित मुख्यालय– जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
निदेशक (प्रशासन)।
Date: 14-05-2026 15:55:22